ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्देश एवं प्रक्रिया

सहकारी समितियो के निबन्धन हेतु ऑनलाइन आवेदन के लिये निम्नांकित कागजात तैयार कर संग्लन करना एवं प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।

1. निबन्धन हेतु प्रस्ताबित उपविधियाँ-चार प्रति में तैयार कर सभी प्रतियों को पुर्णतः भर लिया जाय। सभी प्रवर्तक सदस्यों से संबधित सूचनाये अंकित कर लिया जाये। सभी प्रवर्तक सदस्यों के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान उप विधियों की सभी प्रतियों पर प्राप्त कर लिया जाय । अगर अंगूठे का निशान हो तो उसकी पहचान अवश्य अंकित किया जाय। उपविधियाँ कि प्रतियाँ स्पष्ट एवं पठनीय होनी चाहिय। अपठनीय उपविधियो समिति निवंधन प्रस्ताव के अस्वीकृति का आधार हो सकती है। उपविधियां पर किसी भी प्रकार की कटिंग या सफेदी (whitnerwhitener) का उपयोग नहीं होना चाहिए।
2. विहित प्रपत्र में सभी प्रवर्तक सदस्यों के सदस्यता सम्बन्धी आवेदन पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है ।
3. विहित प्रपत्र में सभी प्रवर्तक सदस्यों का घोषणा पत्र/शपथ पत्र मूल प्रति में संलग्न करना आवश्यक है । जो नोटरी से सत्यापित होना चाहिए।
4. सभी प्रवर्तक सदस्यों को पहचान एवं आवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति अवश्य संलग्न किया जाय। पहचान के रूप प्रवर्तक सदस्यों के आधार कार्ड को पहली प्राथमिकता दी जाय। यदि आधार कार्ड नहीं बना हो तभी दुसरे प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाय।
5. जिस मकान में समिति का कार्यालय अवस्थित हो उसका पूर्ण पता, खाता-खेसरा नंबर, चौहदी का उल्लेख करते हुए प्रस्तावित समिति के साथ १००० रुपए के गैर न्यायिक स्टाम्प पर किरायानामा कि सत्यापित प्रति अवश्य संग्लन किया जाय।
6. प्रस्तावित समिति का मुख्य प्रवर्तक सदस्य द्वारा निबंधन सम्बन्धी सभी कागजात के साथ विहित प्रपत्र में अपना शपथ पत्र संग्लन किया जाय।
7. प्रस्तावित समिति के प्रवर्तक सदस्यों की बैठक में उपविधियो को अंगीकृत करने का प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक है निबंधन आवेदन के साथ उपरोक्त बैठक की कार्यवाही विवरणी कि सत्यापित प्रति संग्लन करना अनिवार्य है।
8. प्रस्तावित समिति के प्रवर्तक सदस्यों द्वारा उपविधियो के प्रावधान के अनुरूप आरक्षण प्रावधानो का अनुपालन करते हुए समिति का चयन किया जाना आवश्यक है निवंधक, आवेदन के साथ प्रथम चयनित प्रबंध समिति सदस्यों कि सत्यापित सूची एवं बैठक कि कार्यवाही विवरणी की सत्यापित प्रति संग्लन करना जाना अनिवार्य है।
9. विहित प्रपत्र में निवंधक, सहयोग समितियाँ, के नाम से निबंधन हेतु आवेदन पत्र पूर्णतः भरकर सभी प्रवर्तक सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ समर्पित किया जाय।

10. बिहार स्वावलंबी सहकारी समितियों के निवंधन के मामले में समिति के प्राधिकृत हिस्सा पूंजी का एक प्रतिशत (न्यूनतम रु- १००/-(एक सौ रूपये) एवं अधिकतम रु- १०,०००/-(दस हजार रूपये) निवंधन शुल्क के रूप में जमा करना होता है। समिति के मुख्य प्रवर्तक निवंधन शुल्क की राशि सम्बंधित जिला के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक या बिहार राज्य सहकारी बैंक की शाखा में जमा कराकर उसकी पावती रसीद ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। यदि निवंधन का आवेदन अस्वीकृत होता है, तो मुख्य प्रवर्तक निवंधन शुल्क के निमित जिला केन्द्रीय अधिकोष में जमा की गयी राशि वापस प्राप्त कर सकेंगे।

<u>प्रक्रिया</u>:-

a) उपर्युक्त सभी कागजात की स्केन कॉपी ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किया जाये। साथ ही ऑनलाइन आवेदन भेजने के ३० दिनों के अन्दर सभी कागजात कि मूल प्रति निवंधन पदाधिकारी के कार्यालय में अवश्य प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

b) निबंधन का आवेदन ऑनलाइन किये जाने के बाद सम्बंधित जिला से सम्बंधित सहकारिता विभाग के पदाधिकारी द्वारा समिति के गठन का स्थल पर जाकर सत्यापन किया जायेगा, और सत्यापन प्रतिवेदन से निबंधन पदाधिकारी को अवगत कराया जायेगा।

c) ऑनलाइन आवेदन के ९० दिनों के अन्दर निबंधन पदाधिकारी द्वारा निबंधन की प्रक्रिया पूर्ण करके निबंधन प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। निबंधन प्रमाण पत्र एवं निबंधित उपविधियां की प्रति सम्बन्धित पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा। मूल निबंधन प्रमाण पत्र एवं निबंधित उपविधियां की प्रति निबंधित डाक से समिति के निबंधित पते पर भेज दी जाएगी।

d) यदि निबंधित पदाधिकारी द्वारा निबंधन का प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है तो अस्वीकृति के कारण सहित ऑनलाइन आवेदन करने के ९० दिनों के अंदर मुख्य प्रवर्तक को उनके ईमेल-आई डी पर सूचित कर दिया जायेगा। यदि निर्धारित अवधि के भीतर निबंधन पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत संसूचित नहीं किया जाता है तो समिति द्वारा निबंधित मान ली जायेगी और निबंधन पदाधिकारी को द्वारा निबंधित तिथि के एक माह के अन्दर द्वारा निबंधित प्रमाण पत्र एवं निबंधित उपविधियां कि प्रति समिति के मुख्य प्रवर्तक/अध्यक्ष को उपलब्ध करना अनिवार्य होगा।

e) यदि निबंधित पदाधिकारी द्वारा निबंधन प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाता है तो डिम्म निबंधन प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है तो निबंधन अस्वीकृत तिथि के ६० दिनों के अन्दर राज्य सरकार के समक्ष अपील दायर किया जा सकता है।

सहकारी समिति के निबंधन से पूर्व किये जाने वाले आवश्यक कार्य कि प्रक्रिया

1. सहाकरी समिति के निवंधन हेतु इच्छुक व्यक्ति बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम १९३५/ बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली १९५९ के प्रावधानों के अधीन उपविधि का निर्माण करेंगे प्रस्तावित उपविधि को सभी प्रवर्तक सदस्यों कि बैठक में अंगीकृत करेंगे।
2. सभी प्रवर्तक सदस्यों में से एक मुख्य प्रवर्तक का चयन करेंगे ।
3. उपविधि के प्रावधान के अनुसार प्रथम प्रवंधकारिणी का चयन करेंगे।
4. मुख्य प्रवर्तक द्वारा सभी वांछित कागजात के साथ निवंधन पदाधिकारी के समक्ष निवंधन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

निवंधन हेतु आवश्यक कागजात -

1. निवंधन पदाधिकारी के नाम समिति निवंधन का आवेदन पत्र (विहित प्रपत्र -1)
2. संगठन कर्त्ता का प्रतिवेदन (प्रपत्र -3)
3. प्रस्तावित समिति कि उपविधियां - (चार प्रति) गठनकर्ता द्वारा सत्यापित।
4. गठनकर्ता द्वारा सभी सदस्यों के समर्थन में शपथ पत्र कि प्रति।
5. प्रथम चयनित बोर्ड के सदस्यों कि कोटिवार सूची।
6. उपविधियां अंगीकृत किया जाने सम्बन्धी बैठक कि कार्यवाही सत्यापित प्रति।
7. गठनकर्ता के चयन एवं प्रथम बोर्ड के चयन सम्बन्धी बैठक कि कार्यवाही कि सत्यापित प्रति।
8. प्रवर्तक सदस्यों का **सदस्यता सम्बन्धी आवेदन** एवं **घोषणा-पत्र (नोटरी द्वारा** सत्यापित) कि प्रति।
9. सभी प्रवर्तक सदस्यों के पहचान एवं आवास का प्रमाण पत्र हस्ताक्षर एवं मोबाइल नंबर के साथ।
10. समिति के मुख्यालय का किरायानामा १००० के गैर न्याय स्टाप पेपर पर।
11. निवंधन शुल्क चालान की प्रति।
12. निवंधन शुल्क की राशि सहकारी बैंक में जमा करने का प्रयास (जमा पर्ची)।